न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ दिनांक 28.09.2024

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 50/2023 दायर दिनांक 8.6.2023
निर्णय दिनांक 28.9.2024
जीसीएमएस संख्या 2023/86

लिछाराम पुत्र परसाराम उर्फ पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

....प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. आदूराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम देवाणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय सुजानगढ जिला चूरू

..... अप्रार्थीगण/अनावेदक

निर्णय

प्रार्थी लिछाराम ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 694/101 तादादी 2.8704 हैक्टैयर वाके सीमा ग्राम देवाणी तहसील सुजानगढ में आवागमन हेतु धारा 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खसरा नंबर 782/549 तादादी 1.0854 हैक्टैयर में आवागमन हेतु 30 फुट चौडाई के रास्ते हेतु रास्ता दिलवाये जाने बाबत यह आवेदन किया है तथा उचित मुआवजा राशि देने बाबत व 30 फुट चौडाई का रास्ता दिलवाये जाने का आवेदन किया एवं अपने खेत खसरा नंबर 694/101 तादादी 2.8704 हैक्टैयर सीमा ग्राम देवाणी तहसील सुजानगढ में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ना होने तथा सड़क मेगा हाईवे से अपने खेत तक रास्ता दिलवाये जाने का आवेदन प्रार्थी ने किया इस पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.09.2024 को प्रार्थी मय वकील एवं अप्रार्थी आदूराम मय वकील उपस्थित हुए एवं प्रार्थनापत्र में उपस्थित होकर राजीनामां प्रस्तुत किया एवं प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने राजीनामां प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामां प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नंबर 694/101 में आवागमन का रास्ता 18 फुट चौडाई सडक मेगा हाईवे से खसरा नंबर 694/101 की सीमा में प्रवेश तक खसरा नंबर 782/549 तादादी 1.0854 हैक्टैयर सीमा ग्राम देवाणी के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे कायम किया जाना आपसी सहमति से मुताबिक राजीनामां सहमत है तथा मुआवजा राशि अप्रार्थी आदूराम को आपस में तय कर प्रार्थी द्वारा अदा करना राजीनामां में अंकित किया है।

प्रार्थनापत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामां का अवलोकन किया गया बहस सुनी गई मनन किया मुताबिक राजीनामां दोनों पक्षों में आपसी सहमति से अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 782/549 तादादी 1.0854 हैक्टैयर सीमा ग्राम देवाणी तहसील सुजानगढ के दक्षिणी

लगातार 2 पर

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ

28/09/24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ

Basant
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ

सीमा के पास सडक मेगा हाईवे के पास से 18 फुट चौडाई का रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 694/101 की सीमा में प्रवेश तक का कायम करने में दोनों पक्ष सहमत है तथा इस रास्ते से दोनों पक्ष आवागमन करेंगे तथा रास्ता हमेशा के लिए कायम कर मौका पर चिन्हित कर लिया है मुआवजा राशि अदा कर दी गई है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 782/549 तादादी 1.0854 हैक्टैयर खातेदार आदूराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी देवाणी वाके सीमा ग्राम देवाणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू के दक्षिणी सींव के पास से 18 फुट चौडाई का रास्ता सडक मेगा हाईवे से खसरा नंबर 694/101 तादादी 2.8704 हैक्टैयर सीमा ग्राम देवाणी खातेदार लिछाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू के खेत में प्रवेश तक 18 फुट चौडाई का रास्ता कायम किया जाता है रास्ता का उपयोग प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों करेंगे।

तहसीलदार सुजानगढ नक्शा में तरमीम कर रास्ता का अंकन करें एवं रास्ता की भूमि को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करें।

तहसीलदार सुजानगढ के नाम मुताबिक आदेश अलग से तहरीर जारी हो

निर्णय आज दिनांक 28.09.2024 को टंकित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ, जिला-चूरू; सत्यमेव जयते)

(हस्ताक्षर) 28/09/24
न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ
(मुहर: अध्यक्ष लोक अदालत सुजानगढ)

(हस्ताक्षर)
पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ
(मुहर: सदस्य लोक अदालत सुजानगढ)

(हस्ताक्षर) Basant
रेवेन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ
(मुहर: सदस्य लोक अदालत सुजानगढ)